

कार्यालय जिला कलक्टर, (भू अभि.) झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :- 07432-230645,  
07432-203646

फोन नं.-07432-230403  
फैक्स नं. 07432-230404  
Email% dm-jha-ri@nic.in

क्रमांक: एफ-5/भू अभि./स्था./19/03,

दिनांक : 13/01/2019

-: आदेश :-

सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2015 से अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों मे से राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक राम/भू-अ./परीक्षा/प-279/2017/388-420 दिनांक 10.01.2019 से जिले में नियुक्ति हेतु निम्नांकित 10 आवंटित अभ्यर्थियों को राजस्थान भू-राजस्व (भू-अ) नियम 4 (सी.सी) अनुसार पटवारी के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में अस्थाई नियुक्त किया जाता है। उक्त नियुक्ति एस बी सिविल रिट याचिका सं० 9454/2017 देवेन्द्र सिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा इस याचिका के साथ संलग्न अन्य याचिकाओ, एस बी सिविल रिट याचिका सं० 8402/2017, मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस बी सिविल रिट याचिका सं० 8454/2017, श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस बी सिविल रिट याचिका सं० 8829/2017, औम प्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस बी सिविल रिट याचिका सं० 15538/2017, मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 11711/2017, मनीष विश्नोई बनाम राजस्थान राज्य, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 8263/2017, रोहिताश बनाम राजस्थान राज्य, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 7870/2017, भोमाराम बनाम राजस्थान राज्य, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 13151/2017 पूरन कंवर बनाम राजस्थान राज्य, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 8110/2017 शंकरलाल डूडी बनाम राजस्थान राज्य व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 18032/2017, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 16106/2017, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 17676/2017, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 18049/2017, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 18326/2017, 10360/2017, 9735/2017, 10549/2017, 12009/2017, 11875/2017, 11874/2017, 11788/2017, 11878/2017, 11881/2017, 11877/2017, 11876/2017, 11879/2017, 8402/2017, 8413/2017, 8133/2017, 12552/2017, 12551/2017, 10690/2017, 11538/2017, 15109/2017 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी। इनकी नियुक्ति कार्यग्रहण दिनांक 21.01.2019 से मान्य होगी। इसके पूर्व अपने दस्तावेजो का सत्यापन तथा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा मेडिकल ज्यूरिस्ट से स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र दिनांक 18.01.2019 तक जिला कार्यालय झालावाड़ में प्रस्तुत करना होगा।

क्र. सं.	रोल नम्बर	मेरिट क्रमांक	चयनित वर्ग	अभ्यर्थी का नाम मय पिता का नाम
1	184687	1755	सामान्य पुरुष	राहुल गुप्ता / पुरुषोत्तम गुप्ता
2	160909	12127	ओ.बी.सी. महिला	अनिता / प्यारेलाल
3	101189	2076	ओ.बी.सी. पुरुष	ओमप्रकाश स्वामी / सीताराम
4	176326	2082	ओ.बी.सी. पुरुष	मनोज कुमार / दीपाराम
5	105187	2083	ओ.बी.सी. पुरुष	राकेश कुमार / ईश्वर सिंह
6	55820	2108	ओ.बी.सी. पुरुष	हरेन्द्र कुमार / बेगाराम
	119411	2123	ओ.बी.सी. पुरुष	केशव मालव / मांगीलाल

(2)

8	185391	36738	अ.ज.जा. महिला	अनिता मीना / श्रीपतीलाल मीना
9	110998	14382	अ.ज.जा. पुरुष	ज्ञान चन्द मीना / रामकल्याण मीना
10	216071	96034	सामान्य विधवा	भारती शर्मा / परमानन्द शर्मा

वर्गान्त अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित राशि ₹0 950200 रूपये का अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा की प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं अर्पण करनी होगी। अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई धन राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।


प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि पूर्ण होने पर अभ्यर्थी को नियमानुसार पटवारी के पद की सेवायें नियमानुसार नियमित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। यदि कोई प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाएं नियमित नहीं की जावेगी। प्रशिक्षण अवधि में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। पटवारियों के प्रशिक्षण सत्र की अवधि 6 माह होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। सत्र की सम्पूर्ण अवधि में उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरान्त यदि कोई अभ्यर्थी एक माह तक उपस्थित नहीं होगा तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

अन्य शर्तें निम्नानुसार रहेगी—

1. नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन आहरित करने के पश्चात् नियमानुसार वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत की जा सकती हैं।
2. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प 13 (1) वित्त/रूल्स /03 /दिनांक 28.01.04 के अनुसार नवीन पेंशन योजना लागू होगी।

इनकी नियुक्ति पर यह नियम लागू नहीं होगा :-

1. राजस्थान राज्य पेशनर्स चिकित्सा रियायत योजना
2. राजस्थान अनुदानित भवन ऋण नियम 1993
3. राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम 1970
4. राज्य कर्मचारियों को वाहन क्रय हेतु अग्रिम
5. राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996


  
जिला कलक्टर  
झालावाड़

दिनांक:- 13. /01/2019

क्रमांक - सम/2019 119-133.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
2. सचिव (भू-अ) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
3. निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
4. सभांगीय आयुक्त महोदय, कोटा सभाग कोटा
5. जिला सूचना अधिकारी एन0आई0सी0 झालावाड़ को नियुक्ति पत्र वेबसाईट पर डालने हेतु।
6. श्री.....को पालनार्थ
7. रक्षित पत्रावली।

  
जिला कलक्टर (भू अभि.)  
झालावाड़